


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

फर्द अहकाम

दिनांक	विवरण
<p>10-11-17</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>10-11-17</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>10-11-17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वाहीगण उपस्थित। उपस्थित वाहीगण ने प्रां. पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्राथमिक के माइक्रो के साथ समझौता हो गया है अब कोई हमारा विवाद नहीं है और न कोई परेशानी है। प्राथमिक द्वारा किया गया दावा बटवारा वापस लेना चाहता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्राथमिक पत्र पर साक्ष्य के रूप में पत्नारी व गिरधर सहाय के हस्ताक्षर कुरवाने गए। इतना वाहीगण द्वारा मुकदमा वापस लिभे जाने पर पत्रावली नोटिस में खारिज की जाती है। पत्रावली जिसल कुमार मानी जाकर वाही टाकमील नम्बर से कम होकर शरियत दफ्तर है।</p>


 महेंद्रसिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नादौती